कार्यालय मुख्य आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

39/1, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून–248 013

दूरभाष: 0135–2608974, फैक्स–2608973

निविदा संख्या: 02/10(01)/2016 दिनाँक: 19 नवम्बर, 2016

निविदा सूचना

उत्तराखण्ड राज्य के जन–सामान्य/नागरिकों के मध्य उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों, उसके क्रियान्वयन की व्यवस्था, अधिसूचित सेवाओं आदि के प्रचार–प्रसार हेतु अनुभवी व तत्सम्बन्धी कार्य करने हेतु सेवाकर/विक्रय कर में पंजीकृत ऐजेन्सियों/फर्मों से विभिन्न जनपदों में स्थित कार्यालयों यथा मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, तहसीलों, विकास खण्डों आदि में होर्डिंग्स एवं डिस्पले बोर्ड (फ्लेक्स बोर्ड) मरम्मत/परिवर्तित/तैयार कर लगाने हेतु मोहरबन्द निविदा आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता आयोग के कार्यालय से निविदा प्रपत्र रूपये 795.00 (रूपये सात सौ पिचानवें मात्र) जमा कर दि० 09.12.2016 तक किसी भी कार्यदिवस में सांय 6.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुये निविदा प्रपत्र–1 एवं 2 को सीलबन्द लिफाफे में आयोग के कार्यालय में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से प्राप्त कराये जाने की अंतिम तिथि दि० 12.12.2016 (सायं 6.00 बजे तक) निर्धारित की जाती है। निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट urtsc.uk.gov.in से भी डॉउनलोड किया जा सकता है, और इस स्थिति में रूपये 795.00 (रूपये सात सौ पिचानवें मात्र) का शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट ("सचिव, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून" के नाम से बनाकर) के रुप में निविदा प्रस्तुत करते समय जमा किया जाना होगा। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा, और अंतिम निर्णय का अधिकार मुख्य आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून को रहेगा, जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(पंकज नैथानी)
सचिव।

कार्यालय मुख्य आयुक्त
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
39/1 सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून–248013

निविदा संख्या – 02/10(01)/2016 (19–11–2016)

होर्डिंग्स एवं डिस्पले बोर्ड का निर्माण, मरम्मत एवं स्थापना कराने सम्बन्धी निविदा प्रपत्र

क्र० सं०.. निविदा मूल्य– रूपये 795/-
विक्रय दिनांक............................ *(Non Refundable, 13.5% VAT included)*
फर्म का नाम (जिसे जारी किया गया) ________________________

____

सचिव

निविदा की शर्ते/निर्देश

उत्तराखण्ड राज्य के जन–सामान्य/नागरिकों के मध्य उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों, उसके क्रियान्वयन की व्यवस्था, अधिसूचित सेवाओं आदि के प्रचार–प्रसार हेतु अनुभवी व तत्सम्बन्धी कार्य करने हेतु सेवाकर/विक्रय कर में पंजीकृत ऐजेन्सियों/फर्मो से विभिन्न जनपदों में स्थित कार्यालयों यथा मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, तहसीलों, विकास खण्डों आदि में होर्डिंग्स एवं डिस्पले बोर्ड (फ्लेक्स बोर्ड) मरम्मत/परिवर्तित/तैयार कर लगाने हेतु मोहरबन्द निविदा आमन्त्रित की जाती है।

1– प्रत्येक निविदादाता केवल एक निविदा ही प्रस्तुत करेगा। सशर्त निविदा एवं अधूरी/अपूर्ण निविदा स्वीकृत नही की जायेगी। निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय है।

2– नियम व शर्तो के अनुरूप निविदा प्रस्तुत न किये जाने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

3– समस्त करों एवं अन्य वैधानिक देयताओं हेतु फर्म उत्तरदायी होंगी।

4– निविदा का मूल्य भारतीय रुपयें में तथा संलग्न सूची के अनुसार दिये गये स्थानों/कार्यालयों पर होर्डिंग्स एवं डिस्पले बोर्ड मरम्मत/स्थापना सहित भरा जाना होगा।

5– **निविदा को जमा किया जाना**

निविदा को दो भागों मे, जो नीचे अंकित हैं, मे जमा किया जाना होगा:–

तकनीकी निविदा: तकनीकी निविदा (प्रपत्र–1) में निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न कर एक सीलबन्द लिफाफे में रखा जाये और उसके बाहर स्पष्ट अक्षरों में "तकनीकी निविदा" अंकित किया जाये:–

a. फर्म का सेवा–कर पंजीकरण/पैन/टिन न०, की प्रतियां अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी होंगी।

b. निविदादाता एजेन्सी/फर्म का वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में औसत वार्षिक टर्न ओवर कम से कम 10 लाख होना चाहिए तथा इन वर्षो में फर्म घाटे में नही रही हो (कम से कम दो वर्षो की सी०ए० द्वारा आडिट की हुई बैलेंस शीट तथा लाभ–हानि लेखा संलग्न होनी चाहिए)।

c. निविदादाता को सरकारी विभागों में न्यूनतम 03 वर्षो का सन्तोषजनक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, जिसका प्रमाण उसे संलग्न करना होगा।

d. धरोहर राशि के रूप में रूपये 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) की राशि *"सचिव, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून"* के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट, एफ०डी०आर० या बैंक गारंटी के रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा, जो निविदा खुलने की दिनांक से अगले 45 दिन तक वैध हो।

e. निविदादाता द्वारा इस बात का नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि फर्म वर्तमान में किसी भी सरकारी विभाग/निगम/आयोग/ईकाई आदि द्वारा काली सूची में नही रखी गई है और न ही वह पूर्व में कभी काली सूची में रही।

वित्तीय निविदा: वित्तीय निविदा में प्रपत्र–2 पर विभिन्न श्रेणियों की दरें अंकित की जायेंगी। इस प्रपत्र को एक अन्य सीलबन्द लिफाफे में रखा जाये, जिसके बाहर स्पष्ट अक्षरों में "वित्तीय निविदा" लिखा जाये।

तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा के लिफाफों को पुनः एक बडे लिफाफे में रखा जाये, जिस पर *"होर्डिंग्स एवं डिस्पले बोर्ड का निर्माण, मरम्मत एवं स्थापना कराने सम्बन्धी निविदा"* अंकित करते हुए निविदादाता का नाम लिखा जाये और यह सीलबन्द की जाये।

नोटः– निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता द्वारा अपने हस्ताक्षर कर फर्म की मोहर लगानी होगी।

6– **उपरोक्तानुसार सीलबन्द निविदा दिनांक 12.12.2016 (सांय 06.00 बजे तक) तक सचिव, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून को पंजीकृत डाक/स्पीड–पोस्ट द्वारा उपलब्ध करायी जानी होगी।** विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा। परन्तु डाक व्यवस्था के कारण विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदाओं के लिए आयोग कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

7– **निविदाओ का खोलना**

प्रथमतः दिनांक 14.12.2016 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तकनीकी निविदाओं को क्रय समिति द्वारा खोला जायेगा, जिनके परीक्षण के उपरान्त केवल तकनीकी रूप से अर्ह पायी गई तकनीकी

निविदाओं के निविदादाताओं की वित्तीय निविदायें खोली जायेंगी, जिसके लिए तत्संबंधी समिति द्वारा पृथक से समय निर्धारित कर निविदादाताओं को ससमय सूचित किया जायेगा अथवा दिनांक 14.12.2016 को ही इन्हे उक्त परीक्षणोपरान्त खोला जा सकेगा। निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोले जाने की निर्धारित तिथि/समय पर समिति के समक्ष उपस्थित रह सकते हैं। उक्त निर्धारित तिथियों में यदि कोई राजकीय अवकाश घोषित होता है, तो अगले कार्यालय कार्यदिवस पर निर्धारित समय पर ही निविदा खोली जायेंगी।

8– **चयन प्रक्रिया**

तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदाओं की तुलनात्मक विवरण के आधार पर जिस निविदादाता की दरें सबसे कम होंगी, उसे सफल घोषित कर सूचित किया जायेगा। अन्तिम रूप से न्यूनतम दरों के लिए नेगोसियेशन भी किया जा सकेगा। चयनित निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के 07 दिन के अन्दर जमानत राशि जमा करनी होगी अन्यथा उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी व अगले निविदादाता को कार्यादेश जारी कर दिया जायेगा।

9– **जमानत राशि (Security Money)**

सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के 07 दिन के अन्दर ₹ 70,000/–(₹ सत्तर हजार मात्र) की जमानत राशि *"सचिव, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून"* के नाम एफ॰डी॰आर॰ अथवा बैंक गांरटी के रूप में जमा करना आवश्यक होगा, जो कि कम से कम 06 माह की अवधि तक वैध हो, जमानत राशि कार्य संतोषजनक रुप से ससमय पूर्ण होने के पश्चात वापस की जा सकेगी।

10– सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के 02 माह के भीतर कार्य सम्पादन/पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

11– सफल निविदादाता फर्म द्वारा कार्यदेश जारी होने के पश्चात् यदि किसी कार्य को पूर्ण न करने का दोषी पाया जाता है तो जमानत राशि जब्त करते हुए काली सूची में दर्ज करने हेतु कार्यवाही की जा सकती है।

12– सम्बन्धित कार्यालयों जहाँ होर्डिंग्स एवं डिस्पले बोर्ड मरम्मत/स्थापित किये जाये से प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं स्थापना स्थानों पर कार्य पूर्ण करने के उपरान्त फोटोग्राफस खीचने का उत्तरदायित्व सफल निविदादाता फर्म का रहेगा।

13– आपूर्ति किये जा रहे सामान अथवा कार्य की गुणवत्ता उच्च श्रेणी की रखी जायेगी। आयोग द्वारा सफल निविदादाता के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जा सकता है, जिससे कि निविदादाता द्वारा इंगित गुणवत्ता का परीक्षण संभव हो सके। यदि इस प्रकार के निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता सुधार की आवश्यकता प्रतीत होगी तो तद्नुसार संशोधन करने हेतु कहा जा सकेगा, जो निविदादाता के लिए बाध्यता रहेगी।

14– सफल निविदादाता स्वयं कार्य/सामान को आपूर्ति/सम्पन्न करेगा और इस कार्य को सब–लेट करने की अनुमति नही रहेगी।

15– सफल निविदादाता फर्म द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पन्न न किये जाने की स्थिति में मुख्य आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से कुल लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत तक की कटौती कर सकेगे। इस प्रकार की गई कटौती अवशेष/अपूर्ण कार्यो की लागत पर रोपित की जायेगी।

16– **भुगतान**

भुगतान हेतु निम्न व्यवस्था रहेगीः–

a. कार्य का भुगतान संतोषजनक रुप से कार्य पूर्ण करने, सम्बन्धित कार्यालयों से प्रमाण पत्र प्राप्त कर उन्हे स्थापना स्थानों के फोटोग्राफस सहित बीजक के साथ आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराने पर ही किया जायेगा।

b. संतोषजनक कार्य पूर्ण करने के उपरान्त देयक तीन प्रतियों में आर0टी0जी0एस0 के पूर्ण विवरण के साथ भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करना होगा।

c. आपूर्ति किये जा रहे सामान अथवा कार्य की गुणवत्ता मे किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर भुगतान नही किया जायेगा।

d. बीजक की कुल धनराशि से आयकर के नियमों के अनुसार आयकर एवं अन्य लागू करों की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।

17– मुख्य आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून को बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(पंकज नैथानी)
सचिव।

प्रपत्र–1: तकनीकी निविदा

निविदा संख्या – 02/10(01)/2016 (19–11–2016)

1. निविदा की तिथि ....

2. सेवाकर /पैन/टिन संख्या (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

   ....

3. विगत् 03 वर्षो (वर्ष अंकित करे) के आयकर रिर्टन संलग्न करें

   ....

4. वार्षिक टर्नओवर (कम से कम दो वर्षो की बैलेंस शीट तथा लाभ–हानि लेखा संलग्न करें)

वित्तीय वर्ष	टर्नओवर (₹ में)	लाभ–हानि लेखा तथा बैंलेस शीट की प्रति संलग्न (हां/नहीं)
2013–14		
2014–15		
2015–16		

5. सरकारी विभागों का विवरण जिनमें समान कार्य करने का अनुभव है (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

   ....

   ....

   ....

   ....

   ....

   कुल अनुभव वर्ष में ....वर्ष

6. धरोहर राशि का विवरण..

7. नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (काली सूची से सम्बन्धित संलग्न करें)

(हस्ताक्षर एवं मोहर)

प्रपत्र–2: वित्तीय निविदा

निविदा संख्या – 02/10(01)/2016 (19–11–2016)

कार्य का नाम	स्पेसिफिकेशन	अनुमानित सं0	निविदा दर प्रति नग (₹ में)	कुल धनराशि (₹ में)
होर्डिंग्स निर्माण व स्थापना (सूची संलग्न)	साईज : 15 फीट X 8 फीट फलेक्स : 110 Oz /375 जी.एस.एम. स्टार **होर्डिंग की संरचना एवं स्थापना :** 1.25 इंच, 18 गेज का आयताकार खोखले पाईप का फ्रेम जिसमें उसी पाईप की दो खड़ी एवं एक पड़ी सपोर्ट पीछे लगी हो। फलेक्स को मुद्रित कर फ्रेम पर चिपकाया/स्क्रू किया गया हो, अथवा ठीक प्रकार चिपकाया गया हो। होर्डिंग जमीन से 6.5 फीट ऊँची तथा 3.5 फीट जमीन में आर.सी.सी. से जाम की जायेगी। 3 इंच, 14 गेज का गोल पाईप जिस पर फ्रेम टांगा जायेगा।	20 नग		
आयोग कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालयों में लगी होर्डिंग्स की फलेक्स बदलने/मरम्मत का कार्य (सूची संलग्न)	**साईज** : 15 फीट X 8 फीट फलेक्स : 110 Oz /375 जी.एस.एम. स्टार **होर्डिंग की संरचना एवं स्थापना :** 1.25 इंच आयताकार खोखले पाईप का फ्रेम जिसमें उसी पाईप की दो खड़ी एवं एक पड़ी सपोर्ट पीछे लगी है। फलेक्स को फ्रेम पर चिपकाया/स्क्रू किया गया है अथवा ठीक प्रकार चिपकाया गया है। होर्डिंग जमीन से 6.5 फीट ऊँची तथा 3.5 फीट जमीन में आर.सी.सी. से जाम की गई है। 3 इंच का गोल पाईप जिस पर फ्रेम टांगा गया है। पूर्व में स्थापित होर्डिंग्स की आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य एवं फलेक्स को मुद्रित कर समस्त स्थानों पर परिवर्तित किया जाय।	14 नग		
डिस्पले बोर्ड की स्थापना (सूची संलग्न)	**डिस्पले बोर्ड की संरचना एवं स्थापना :** a) _Size_ - 4' X 3' b) _Material of Display Board_ – Eco Solvent Vinyl, Printed/pasted on 3mm Sun Board with Glossy Lamination (Technova). c) _Others_ - Appropriate to nail on the Walls. Incl. Installation at various sites	270 नग		

हम उपर्युक्त तकनीकी विशिष्टताओं/गुणवत्ताओं के अनुसार उपरोक्त वर्णित कार्यों को दिये गये 02 माह के समय के भीतर कुल ₹.. में करने में सहमत है।

स्थानः .... फर्म का नामः..

दि॰.............................. फर्म का पताः..

मोहर सहित हस्ताक्षर ....

होर्डिंग्स की मरम्मत एवं फलेक्स बदलने के स्थानों/कार्यालयों की सूची

1.	समस्त जनपदों के जिलाधिकारी कार्यालय	13
2.	देहरादून में स्थित आयोग का कार्यालय	01

होर्डिंग्स निर्माण एवं फलेक्स सहित स्थापना हेतु तहसील कार्यालयों की सूची

जनपद का नाम	तहसील का नाम		
अल्मोड़ा	सल्ट		
बागेश्वर	बागेश्वर		
चमोली	चमोली		
चम्पावत	चम्पावत		
देहरादून	देहरादून	ऋषिकेश	विकासनगर
हरिद्वार	रूड़की	लक्सर	
नैनीताल	हल्द्वानी	रामनगर	
पौड़ी गढ़वाल	कोटद्वार	श्रीनगर	
पिथौरागढ़	डीडीहाट		
रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग		
टिहरी	नरेन्द्रनगर		
ऊधमसिंहनगर	जसपुर	काशीपुर	
उत्तरकाशी	चिन्यालीसौड़	पुरोला	

डिस्पले बोर्ड की स्थापना के स्थानों/कार्यालयों की सूची

1.	समस्त जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय	13
2.	समस्त जनपदों में स्थापित समस्त तहसील एवं उप तहसील कार्यालय	111
3.	समस्त जनपदों में स्थापित समस्त खण्ड विकास अधिकारियों के कार्यालय	95
4.	समस्त जनपदों में स्थापित ई–डिस्ट्रिक्ट सेवा केन्द्र	13
5.	समस्त नगर निगम	06
6.	उत्तराखण्ड विधान भवन परिसर	02
7.	उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर	02
8.	समस्त आर॰टी॰ओ/ए॰आर॰टी॰ओ॰	18
9.	छावनी परिषद कार्यालय	09